पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक विविध मामला सं.- 85714/2019

थाना मामला सं.- 695/2018 थाना-पूर्व चंपारण शिकायत जिला- पूर्वी चंपारण से उत्पन्न

==========

अमजद अली खान @ गुड्डू खान पिता - स्वर्गीय अब्दुल मोनाफ, ग्राम-बठाना, थाना-केसरिया, जिला - पूर्वी चंपारण के निवासी।

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. लाल बाबू प्रसाद, पिता महंथ भगत, ग्राम-जाखड़ा, थाना-गोविंदगंज, जिला- पूर्वी चम्पारण के निवासी - पूर्वी चंपारण।

.....विपरीत दल

==========

पुनरीक्षण में अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश जिसमें अपर न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान आदेश को बरकरार रखा गया था, को इस याचिका के द्वारा रद्दीकरण करने की मांग की गयी है।

याचिकाकर्ता का दावा है कि परिवाद पत्र को समय-सीमा अवधि के परे लाया गया है तो धारा 142 - परक्राम्य लिखत अधिनियम्, 1881 द्वारा वर्जित है।

निर्णित किया गया कि **यह तय कानून है कि दंडाधिकारी को अपराध का संज्ञान लेने से मना किया गया है यदि शिकायत एक महीने के भीतर नहीं दर्ज की गयी हो जिस तारीख से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ।**

प्रेम चंद विजय कुमार बनाम याशपाल सिंह, 2005(3) पी.एल.जे.आर. एस सी 115 पर भरोसा किया गया।

अपर सत्र न्यायाधीश तथा न्यायिक दंडाधिकारी के आदेशों को दरकिनार करते हुये रद्द किया गया।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

आपराधिक विविध मामला सं.- 85714/2019

थाना मामला सं. - 695/2018 थाना-पूर्व चंपारण शिकायत जिला-पूर्वी चंपारण से उत्पन्न

==========

अमजद अली खान @ गुड्डू खान पिता - स्वर्गीय अब्दुल मोनाफ, ग्राम-बठाना, थाना-केसरिया, जिला - पूर्वी चंपारण के निवासी।

…….याचिकाकर्ता

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. लाल बाबू प्रसाद, पिता महंथ भगत, ग्राम-जाखड़ा, थाना-गोविंदगंज, जिला- पूर्वी चम्पारण के निवासी - पूर्वी चंपारण।

……विपरीत दल

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्रीमान विजय शंकर श्रीवास्तव, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्रीमान पी. के. पांडे, अतिरिक्त लोक अभियोजक

विपरीत पक्ष के लिए सं.- 22: श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति- माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह

मौखिक निर्णय

दिनांकित: 01-09-2022

दिनांक 22.8.2019 को आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया है जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VIII, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या 29/2018, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है, जो दिनांक 11.07.2018 के आदेश के विरुद्ध दायर की गयी थी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट IX, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा पारित शिकायत याचिका सं.-695/2018 के आदेश के खिलाफ किया गया था, जिसके द्वारा और जिसके तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट IX, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है।

इस मामले को उत्पन्न करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की फर्म के पक्ष में कुल Rs.12 लाख के दो चेक जारी किए थे, जो धन की अपर्याप्तता के कारण अनादर हुए थे, जिसके लिए बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को 17.2.2018 पर अनादर/वापसी ज्ञापन (अनुलग्नक 2) का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।इसके बाद, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को 17.3.2018 पर कानूनी नोटिस दिया, जिसे याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया, लेकिन उसने भुगतान नहीं किया, जिससे शिकायत मामला सं. याचिकाकर्ता के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 420,406 और 120बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 2018 का ग-695/2018 दिनांक 25.04.2018 (अनुलग्नक 1)।इसके बाद, शिकायतकर्ता से एस. ए. पर पूछताछ की गई और जांच के दौरान उसके गवाहों से भी पूछताछ की गई और शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान के आधार पर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट IX ने एन. आई. अधिनियम की

धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया। आपराधिक पुनरीक्षण वाद सं.-291/2018 से याचिकाकर्ता नेउक्त आदेश को चुनौती देने वाले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VIII, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा दिनांक 22.8.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि दिनांकित 11.7.2018 के साथ-साथ दिनांकित 22.8.2019 के पुनरीक्षण आदेश कानून में गड़बड़ी हैं और साधारण कारण से रद्द किए जाने योग्य हैं। कि दोनों न्यायालय एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रदान किए गए कानून के प्रावधानों को समझने में विफल रहे। इसके बाद वह समर्पित करता है कि समय बाधित शिकायत पर निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया है।तत्काल मामले में, वाद हेतुक 17.3.2018 पर उत्पन्न हुआ, जबकि शिकायत 25.4.2018 पर दर्ज की गई थी,अर्थात, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के अनुसार 30 दिनों की वैधानिक अवधि से परे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा देरी को माफ करने के लिए कोई सीमा याचिका दायर नहीं की गई थी। निचली अदालत ने देरी को माफ किए बिना संज्ञान लिया है और इसलिए दोनों आदेश कानूनी रूप से खराब हैं और रद्द किए जाने के योग्य हैं। इस संबंध में, इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई है जिसे **बीरेंद्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और एक अन्य, 2007 (3) पी. एल. जे. आर 390 में रिपोर्ट किया गया।**

राज्य के लिए विद्वान वकील के साथ-साथ विरोधी पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सं. 2 याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते है। विरोधीपक्ष के लिए विद्वान वकील सं. 2 समर्पित करते हैं कि संज्ञान के आदेश को केवल इसलिए कानूनी रूप से खराब नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह देरी को माफ किए बिना लिया गया है।एक छोटी सी अनियमितता मामले की जड़ तक नहीं जाती है और संज्ञान के क्रम को निरस्त नहीं कर सकती है।

याचिकाकर्ता, राज्य और विरोधी पक्ष के लिए विद्वान वकील सं. 2 को सुना गया

एन. आई. अधिनियम की धारा 142 इस प्रकार है -

142. अपराधों का संज्ञान

[(1)] आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

(क) कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय इसके कि प्राप्तकर्ता या, जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा चेक के नियत समय में लिखित रूप में की गई शिकायत पर;

(ख) ऐसी शिकायत उस तारीख से एक महीने के भीतर की जाती है जिस दिन धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता हैः

[बशर्ते कि किसी शिकायत का संज्ञान न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था;]

(ग) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।].

एन. आई. अधिनियम की धारा 142 के परंतुक के खंड (सी) के संदर्भ में, ऐसी शिकायत चेक के भुगतानकर्ता को नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए, और उसके बाद 15 दिन बीत चुके होने चाहिए।इस मामले में, दिनांक 17.3.2018 पर वाद हेतुक उत्पन्न हुआ और 7 दिनों की देरी के बाद दिनांक 25.4.2018 पर शिकायत दर्ज की गई और इस प्रकार गलत तरीके से संज्ञान लिया गया है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता की ओर से देरी को माफ करने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है

और देरी को माफ किए बिना, निचली अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया जो सीमा से वर्जित था। यह तय कानून है कि मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने से मना किया गया है यदि शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर दर्ज नहीं की गई थी, जिस तारीख से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ **प्रेम चंद विजय कुमार बनाम यशपाल सिंह और अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है जो **2005 (3) पी. एल. जे. आर. एस. सी. 115 में दायर किए गए।**

पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और **प्रेम चंद विजय कुमार (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड और कानून पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, मैने पाया कि दिनांक 11.7.2018 के संज्ञान आदेश के साथ-साथ दिनांक 22.8.2019 के पुनरीक्षण आदेश का समर्थन करना मुश्किल लगता है। न्यायालय की राय में, 11.7.2018 और 22.8.2019 दिनांकित ये आदेश गलत और कानून के विपरीत हैं। इसलिए, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।

इस याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

(प्रभात कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

शशि

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।